ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3845/2004/चित्तौड़गढ़ रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एस0एस0सिद्धू, अधिवक्ता अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय

दिनांकः12–12–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील सं0 142/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 07–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई का विवादित आराजी बाबत् पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की है, जिसके कुछ टुकड़े पर अपीलार्थी सं0 2 ने दिनांक 02–06–95 को जबरन कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलार्थीगण ने जवाब व काउन्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे जवाबदावे के आधार पर 4 विवाद बिन्दू विरचित किए, जिन पर

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3845/2004/चित्तौड़गढ़ रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्य लेने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2003 द्वारा वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 07–07–2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि तनकी सं0 1 आया विवादित आराजीयात के वाद को न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण पर था, जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष यह साबित किया कि न तो सिविल कोर्ट एवं न ही राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार है और यह भी बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन का प्रश्न है वह नीलामी बैंक के द्वारा करवाई गई जो आराजियात पर लागू नहीं हो है व न ही इसमें नीलामी की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, नीलामी की कार्यवाही के के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं01 व 2 ने माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका मांगीलाल आदि बनाम सरकार एवं अन्य पेश की, जिसेक उन्होंने दिनांक 27–01–94 को वापस लेकर खारिज करवा लिया और प्रत्यर्थीगण द्वारा यह कहा गया कि वे राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 की	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3845/2004/चित्तौड़गढ़ रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 128 के तहत नीलामी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे जो उनकी द्वारा कभी नहीं की गई, ऐसी स्थिति में नीलामी की कार्यवाही अंतिम हो चुकी है। अर्थात तनकी सं0 1 अपीलार्थीगण के पक्ष में तय की गई। किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने माना कि वादीगण इस तनकी को साबित करवाने में असफल रहे है जबकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है तनकी सं0 1 अपीलार्थीगण द्वारा साबित करवाई जाने से उनके पक्ष में तय किया जाता है। तनकी सं0 2 को साबित करवाने का भार अपीलार्थीगण पर थी, जिसे अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष साबित किया कि इसी विवादित आराजी बाबत् प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 188 एवं नीलामी कार्यवाही निरस्त करवाने संबंधी पेश किया जो प्रकरण सं0 86/93 होकर दिनांक 04-07-94 को प्रत्यर्थी के द्वारा अनुनस्थित रहने एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई और पुनः नया दावा वर्ष 1995 में 57/95 पेश किया परन्जु वह पहले वाले दावे को पुनः नंबर पर लेने की कार्यवाही करवा सकता था, जो उसके द्वारा नहीं की गई, इसी आधार पर तनकी सं0 2 अपीलार्थीगण के पक्ष में तय की गई जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस तनकी को इस आधार पर सही माना कि रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते जबकि दूसरा दावा कानूनन चलने योग्य नहीं था फिर भी इस प्रकरण के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड किया, जो त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क था कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपना कोई ठोस मत व्यक्त नहीं किया है कि जिन	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3845/2004/चित्तौड़गढ़ रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिन्दूओं पर विचारण न्यायालय द्वारा यह मानकर कि वाद कानूनन ना काबिल चलने के है, वादी का वाद निरस्त किया था जब वाद चलने योग्य है ही नहीं और विचारण न्यायालय को सुनने का अधिकार ही नहीं है तब ऐसी स्थिति में किसी अन्य तनकी पर न तो कानूनन कोई विचार किया जा सकता है व न ही उस पर साक्ष्य लेकर कोई मत व्यक्त किया जा सकता है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि राजजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर उसे निरस्त किया जावें। हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि विवादित भूमि, भूमि सहकारी विकास बैंक के खाते में दर्ज हो चुकी है और राज0 कोपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 की धारा 75 के प्रावधान अनुसार उक्त भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में पूर्व में प्रस्तुत वाद अदम हाजरी में खारिज हो जाने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किया गया नया वाद रेसज्यूडिकेटा की परिभाषा में आता है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इन दोनों बिन्दूओं के संबंध में अपनी कोई स्पष्ट राय अथवा विवेचन नहीं दिया है और वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर कुछ अतिरिक्त तनकियां बनाकर प्रकरण को पुनः निर्णित करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया है। हमारी	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3845/2004/चित्तौड़गढ़ रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुविचारित राय में जब दोनों विधिक तनकियों के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई विपरीत निष्कर्ष अंकित नहीं किया था तो उनके द्वारा अन्य तनकियों को निर्णित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार एवं रेसज्यूडिकेटा के संबंध में दिए गए निष्कर्ष को अभिलेख अथवा विधिक प्रावधानों के विपरीत कहा जा सके। उक्त स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–07–2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2003 को बहाल किया जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मोडूदान देथा) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	